1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **निगरानी./एल.आर./5808/2004/जोधपुर** **उच्छव कॅवर बनाम महीपाल सिंह** **निगरानी./एल.आर./5809/2004/जोधपुर** **उच्छव कॅवर बनाम महीपाल सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.6.2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति–** श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 **निर्णय** न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 147/2001 शीर्षक श्रीमती उच्छव कॅवर बनाम महीपाल सिंह में पारित निर्णय दिनांक 06–08–2004 के विरुद्ध निगरानी संख्या 5808/2004 एवं अपील संख्या 148/2001 शीर्षक श्रीमती उच्छव कॅवर बनाम महीपाल सिंह में पारित निर्णय दिनांक 06–08–2004 के विरुद्ध निगरानी संख्या 5809/2004, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम,1956) की धारा 84, के अन्तर्गत मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। दोनों निगरिानियों के तथ्य व पक्षकारान समान होने से दोनों निगरानियों को एक साथ निर्णित किया जा रहा है, निर्णय सम्बन्धित पत्रावली में लगाया जाये। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि नामांतरकरण संख्या 1388 दिनांक 1–9–1996 व नामांतरकरण संख्या 1389 दिनांक 1–10–1996 हरीसिंह की आराजी पर वसीयतनामा के आधार पर महीपाल सिंह पुत्र हरीसिंह द्वारा स्वीकृत कराए गए हैं। प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि होने से हरीसिंह को महिपाल सिंह के पक्ष में वसीयत करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। प्रार्थीगण हरीसिंह के वारिस होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण का भी इस आराजी में बराबर का हक हिस्सा है। ग्राम पंचायत द्वारा हरीसिंह के फौत होने के बाद नामांतरकरण संख्या 1388 दिनांक 1–9–1996 व नामांतरकरण संख्या 1389 दिनांक 1–10–1996 महीपाल सिंह पुत्र हरीसिंह के पक्ष में	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **निगरानी./एल.आर./5808/2004/जोधपुर** **उच्छव कॅवर बनाम महीपाल सिंह** **निगरानी./एल.आर./5809/2004/जोधपुर** **उच्छव कॅवर बनाम महीपाल सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तस्दीक करने में घोर अनियमितता की है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण को सुनवाई का किसी प्रकार का अवसर प्रदान किए बिना ये नामांतरकरण स्वीकृत किए गए हैं, नामांतरकरण विवादित होने से ग्रांम पंचायत को किसी प्रकार का क्षेत्राधिकार शेष नहीं रह गया था और प्रकरण को धारा 135 (2) के तहत तय करने हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को अग्रेषित करना चाहिए था। नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व हरीसिंह के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जॉच भी नहीं की गई है। जिस वसीयत की बात कह रहे हैं ऐसी कोई वसीयत हरीसिंह द्वारा कभी नहीं कराई गई है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा इन नामांतरकरणों के विरुद्ध अधीनस्थ अति0 जिला कलक्टर, जोधपुर के न्यायालय में अपीलें प्रस्तुत की जिन्हें अविधिक रुप से दिनांक 20-12-2000 को खारिज किया गया है और इन निर्णयों के विरुद्ध द्वितीय अपीलें प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 06-08-2004 से अविधिक रुप से खारिज कर अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णयों को गलत प्रकार से पुष्ट किया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अधीनस्थ सभी न्यायालयों के निर्णयों को तथ्यों के विपरीत बताते हुये और इन निर्णयों में तात्विक अनियमितता होने का कथन करते हुये निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन निर्णयों को निरस्त करनें और नामांतरकरण संख्या 1388 दिनांक 1-9-1996 व नामांतरकरण संख्या 1389 दिनांक 1-10-1996 को निरस्त कर प्रार्थीगण को हिस्से अनुसार नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया। अप्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रश्नगत भूमि के अभिलिखित खातेदार हरीसिंह द्वारा अपने पुत्र महिपाल सिंह के पक्ष में पंजीबद्ध वसीयत सम्पादित की है और प्रश्नगत दोनों नामांतरकरण संख्या 1388 दिनांक 1-9-1996 व नामांतरकरण संख्या 1389 दिनांक 1-10-1996 इसी वसीयत के आधार पर स्वीकृत किए गए हैं। वसीयत पंजीबद्ध होने से	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **निगरानी./एल.आर./5808/2004/जोधपुर** **उच्छव कॅवर बनाम महीपाल सिंह** **निगरानी./एल.आर./5809/2004/जोधपुर** **उच्छव कॅवर बनाम महीपाल सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है और प्रार्थीगण ने भी ऐसा कोई उज्र नहीं लिया है कि वसीयत पर हरीसिंह के फर्जी हस्ताक्षर रहे हों। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि यदि प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी को हरीसिंह की पैतृक भूमि होना कहते हैं तो इन्हें इस हेतु साक्ष्य प्रस्तुत कर इसे साबित करना चाहिए था किन्तु इनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि भूमि पैतृक साबित होती हो। अतः अप्रार्थी के पक्ष में पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर जो नामांतरकरण स्वीकृत किए गए हैं वे विधिसम्मत हैं। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने प्रकरण में विस्तृत परीक्षण करते हुये साक्ष्य समर्थित समवर्ती निर्णय पारित किए हैं। समवर्ती निर्णयों में निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है, अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। हमने उभय पक्षीय योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश व अन्य अभिलेख का अध्ययन व मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह निर्विवाद व स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी संख्या–1 के पति व प्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या–1 के पिता हरीसिंह प्रश्नगत भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार रहे हैं और हरीसिंह द्वारा पंजीबद्ध वसीयत अप्रार्थी संख्या–1 महीपाल सिंह के पक्ष में करने के आधार पर महीपाल सिंह के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 1388 दिनांक 1–9–1996 व नामांतरकरण संख्या 1389 दिनांक 1–10–1996 ग्राम पंचायत, उस्तरा, तहसील भोपालगढ द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। प्रार्थीगण जो कि हरी सिंह की बेवा एवं हरी सिंह की पुत्री हैं, उनके द्वारा उक्त नामांतरकरणों को इस आधार पर चुनौती दी है कि प्रश्नगत भूमि हरीसिंह की पैतृक भूमि थी और पैतृक भूमि होने से हरीसिंह को वसीयत करने का किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ किसी भी न्यायालय के समक्ष इस आशय की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे कि भूमि हरीसिंह की	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **निगरानी./एल.आर./5808/2004/जोधपुर** **उच्छव कॅवर बनाम महीपाल सिंह** **निगरानी./एल.आर./5809/2004/जोधपुर** **उच्छव कॅवर बनाम महीपाल सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पैतृक साबित होती हो। नामांतरकरण की कार्यवाही एक वित्तीय कार्यवाही मात्र है और यदि प्रार्थीगण भूमि को पैतृक होने की आपत्ति करते हैं तो वे अपने हकों की घोषणा हेतु सक्षम न्यायलय में वाद दायर कर सकते हैं किन्तु पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर, बिना कोई प्रतिकूल साक्ष्य प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किए हुए, वसीयत ग्रहिता के पक्ष में स्वीकृत किए गए नामांतरकरणों को अनुचित एवं नियमों के विपरीत स्वीकृत किया जाना नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ दोनों अपीलीय न्यायालयों ने प्रकरण में विधिवत रुप से परीक्षण करते हुये, तथ्यों के आधार पर नियमानुकूल निर्णय पारित किए हैं और अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होने से निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत इन निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं पाते हैं। फलतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	